

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.24(3)न्याय/97

जयपुर, दिनांक 18.09.2019

::आज्ञा::

राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के कार्मिक श्री निकुंज दीक्षित, विधि रचनाकार, विधि (विधि रचना प्रकोष्ठ-6) विभाग का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण/ पदस्थापन विधि रचनाकार, विधि (विधि रचना प्रकोष्ठ-1) विभाग के रिक्त पद पर एतद्द्वारा किया जाता है। श्री दीक्षित को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्य के साथ-साथ श्री राजेश आचार्य, वरिष्ठ विधि रचनाकार के साथ विधि एवं विधिक कार्य के न्यायालय प्रकरण से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित करें।

आज्ञा से

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. उपरोक्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि वे तुरन्त प्रभाव से हर सूरत में नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को अविलम्ब भिजवाए।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव